MVS FOUNDATION

FREE NOTES

SOCIOLOGY (331)

CHAPTERWISE NOTES

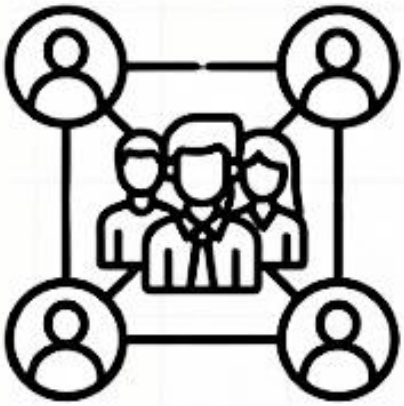

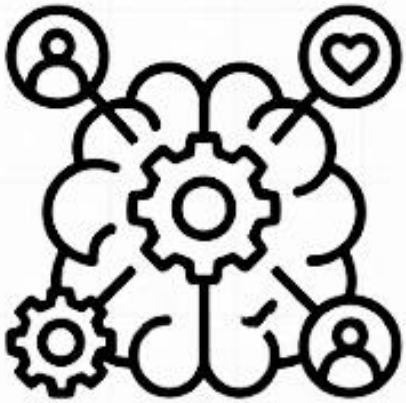

SOCIOLOGY

Sl. No.	Module	Chapters (Public Examination)	Marks
1	**Module 2 : Social Institutions and Social Stratification**	L-12 Marriage L-13 Family L-14 Kinship L-16 Social Stratification: Hierarchy, Differentiation and Inequality	24
2	**Optional Module 5A : Status of Women**	L-32A Status Of Women In Indian Society L-33A Gender discrimination	14

Component	Details	Marks
Public Exam (Selected Modules 2, 5A)	Total Chapters : 6	38
Practical Exam	Practical	00
TMA	Tutor Marked Assignment	20
Final Possible Marks		**58 Marks**

विषय- सूची

1	विवाह
2	परिवार
3	रिश्तेदारी
4	सामाजिक स्तरीकरण
5	ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य
6	लैंगिक भेदभाव और लैंगिक समानता

1

विवाह

परिचय

विवाह केवल दो व्यक्तियों का व्यक्तिगत संबंध नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो परिवार की स्थापना और समाज की निरंतरता का आधार बनती है। यह स्त्री और पुरुष के संबंधों को सामाजिक मान्यता प्रदान करता है तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक समाज में विवाह के अपने नियम, प्रकार और उद्देश्य होते हैं, जो उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाते हैं।

विवाह का अर्थ और उसकी परिभाषा

1. **विवाह** एक ऐसी संस्था है जो पुरुष और स्त्री की भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ।

2. इसका प्राथमिक उद्देश्य एक स्थायी संबंध के माध्यम से लैंगिक इच्छाओं को नियंत्रित करना और समाज में व्यवस्था बनाए रखना है ।

3. यह पति-पत्नी को संतान उत्पन्न करने का अधिकार देता है और बच्चों को समाज द्वारा कानूनी स्वीकृति दिलाता है ।

4. विवाह मात्र जैविक संबंध नहीं है, बल्कि इसमें नागरिक समारोह, धार्मिक संस्कार या संविदा का होना आवश्यक है ।

विवाह के प्रकार

विवाह के प्रकारों को मुख्य रूप से दो आधारों पर बांटा गया है:

पति-पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह के प्रकार

(अ) एक विवाह : इसमें एक पुरुष का एक ही स्त्री के साथ विवाह होता है। यह विश्व भर में सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप है।

(ब) बहुविवाह : इसमें एक व्यक्ति के एक से अधिक जीवनसाथी होते हैं । इसके दो उप-प्रकार हैं:

- **बहुपत्नी विवाह:** एक आदमी एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है (जैसे- मुसलमानों और कुछ आदिवासियों में) ।
- **बहुपति विवाह:** एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं ।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

बहुपति विवाह के उप-भेद:

- **भ्रातृ बहुपति विवाह:** जब स्त्री के सभी पति आपस में भाई होते हैं (जैसे- खस जनजाति और द्रोपदी का उदाहरण) ।
- **अभ्रातृ बहुपति विवाह:** जब स्त्री के पति आपस में भाई नहीं होते (जैसे- टोडा और नायर आदिवासियों में) ।

पति-पत्नी वरण के नियम

प्रत्येक समाज में जीवनसाथी चुनने के कुछ निषेधात्मक और निर्देशात्मक नियम होते हैं ।

1. निषेधात्मक नियम

(अ) अगम्यागमन / निकटाभिगमन निषेध: परिवार के निकट रक्त संबंधियों (जैसे पिता-पुत्री, भाई-बहन) के बीच यौन संबंध और विवाह वर्जित है ।

(ब) बहिर्विवाह (Exogamy): इस नियम के अनुसार व्यक्ति को अपने निश्चित समूह (जैसे गोत्र, परिवार या गाँव) के बाहर विवाह करना होता है ।

(स) अन्तः विवाह (Endogamy): इसके अनुसार व्यक्ति को अपने ही सामाजिक समूह, जाति, जनजाति या धार्मिक समूह में विवाह करना पड़ता है ।

(द) अनुलोम विवाह: इसमें ऊँची जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह कर सकता है ।

(ई) प्रतिलोम विवाह: इसमें निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से विवाह करता है, जिसे पारंपरिक समाज में प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था ।

2. निर्देशात्मक और अधिमान्य नियम

(अ) समानान्तर भाई-बहन विवाह: दो भाइयों या दो बहनों के बच्चों के बीच विवाह, जो अक्सर मुसलमानों में पसंद किया जाता है ।

(ब) ममेरी-फुफेरी सन्तानों के बीच विवाह: मामा की लड़की या बुआ की लड़की के साथ विवाह (जैसे- गोंड, ओरांव जनजातियों और दक्षिण भारत में प्रचलित) ।

(स) पतिभ्राता विवाह : इसमें विधवा अपने मृत पति के भाई (प्रायः छोटे भाई) से विवाह करती है ।

(द) साली विवाह : इसमें विधुर अपनी मृत पत्नी की छोटी बहन से विवाह करता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

विवाह के प्रकार्य

- **यौन संतुष्टि:** विवाह यौन संबंधों को नियमित और समाज द्वारा स्वीकृत बनाता है ।
- **बच्चों का प्रजनन और पालन-पोषण:** यह बच्चों के जन्म को कानूनी आधार देता है और उनके भौतिक व मानसिक विकास की जिम्मेदारी तय करता है ।
- **आर्थिक सहयोग एवं सुरक्षा:** पति-पत्नी मिलकर आर्थिक आवश्यकताओं (भोजन, आवास आदि) को पूरा करते हैं और परिवार के कार्यों में सहयोग करते ।
- **सहचारिता और संवेगात्मक सहयोग:** यह जीवन भर साथ रहने वाला साथी प्रदान करता है जो सुख-दुख में मानसिक और संवेगात्मक सहारा देता है ।

हिन्दू विवाह

उद्देश्य

हिन्दू समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार और धार्मिक कर्तव्य है। इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं: धर्म (धार्मिक कर्तव्य), प्रजा (संतानोत्पत्ति), और रति (यौन संतुष्टि) ।

हिन्दू विवाह: एक धार्मिक संस्कार के रूप में

इसे एक पवित्र और अटूट बंधन माना जाता है, जिसमें अग्नि के सामने मंत्रोच्चार के साथ दो आत्माओं का मिलन होता है ।

हिन्दू विवाह के परम्परागत स्वरूप

1. पारंपरिक रूप से आठ स्वरूप हैं। ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य को उचित माना जाता है ।

2. असुर, गांधर्व, राक्षस और पिशच विवाह के स्वरूपों को अवांछनीय माना जाता है ।

मुस्लिम विवाह

मुस्लिम विवाह एक संविदा के रूप में

मुस्लिम विवाह या निकाह एक सामाजिक संविदा है, जो गवाहों और मौलवी की उपस्थिति में संपन्न होता है ।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

मुस्लिम विवाह के स्वरूप

(अ) निकाह या सही निकाह: धार्मिक नियमों के अनुसार नियमित विवाह ।

(ब) फासिद: वह अनियमित विवाह जिसमें कुछ नियमों का उल्लंघन होता है ।

(स) मुताह: एक निश्चित समय के लिए किया गया अस्थायी विवाह ।

(द) बातिल: वह विवाह जो बुनियादी सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण अमान्य होता है ।

मुस्लिम विवाह में तलाक या विवाह-विच्छेद

- पति तीन बार 'तलाक' बोलकर संबंध तोड़ सकता है, लेकिन उसे मेहर चुकाना पड़ता है ।
- पत्नी द्वारा लिए गए तलाक को खुला और आपसी सहमति से हुए तलाक को मुबारत कहते हैं ।

विवाह में परिवर्तन

1. विवाह के स्वरूप में बदलाव आया है और अब एक विवाह सबसे लोकप्रिय स्वरूप है ।

2. जीवनसाथी के चुनाव में माता-पिता की भूमिका कम हो रही है और आपसी पसंद को महत्व दिया जा रहा है ।

3. **कानूनी बदलाव:** 'हिंदू विवाह अधिनियम 1955' ने विवाह विच्छेद की अनुमति दी और न्यूनतम उम्र (लड़का 21, लड़की 18) निश्चित की ।

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. विवाह को परिभाषित कीजिए और इसके किन्हीं दो मुख्य प्रकार्यों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर- परिभाषा: विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो पुरुष और स्त्री को पारिवारिक जीवन स्थापित करने, लैंगिक संबंधों को नियमित करने और संतान उत्पन्न करने की स्वीकृति देती है ।

1. प्रकार्य 1 (यौन संतुष्टि): विवाह समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार यौन संबंधों को नियमित और नियंत्रित करता है।

2. प्रकार्य 2 (बच्चों का प्रजनन और पालन-पोषण): विवाह के माध्यम से बच्चों को जन्म दिया जाता है और परिवार के भीतर उनकी सुरक्षा व देखभाल सुनिश्चित की जाती है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न-2. 'अन्तः विवाह' और 'बहिर्विवाह ' के नियमों के बीच क्या अंतर है?

उत्तर- अन्तः विवाह: इस नियम के अनुसार व्यक्ति को अपने ही सामाजिक समूह, जाति या धार्मिक समूह के भीतर विवाह करना अनिवार्य होता है।

बहिर्विवाह: इस नियम के अनुसार व्यक्ति को एक निश्चित समूह (जैसे अपना परिवार, गोत्र या गाँव) से बाहर विवाह करना पड़ता है।

प्रश्न-3. हिन्दू विवाह के तीन मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- हिन्दू समाज में विवाह के तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. धर्म: सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करना सबसे प्रमुख उद्देश्य माना जाता है।

2. प्रजा (संतानोत्पत्ति): वंश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को जन्म देना।

3. रति (यौन संतुष्टि): आनंद और जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति, हालांकि इसे धर्म से कम महत्व दिया गया है।

प्रश्न-4. मुस्लिम विवाह (निकाह) के प्रमुख स्वरूपों के नाम लिखिए।

उत्तर- मुस्लिम विवाह के चार मुख्य स्वरूप इस प्रकार हैं:

1. सही निकाह: वह विवाह जो पूर्णतः धार्मिक नियमों (कुरान) के अनुसार होता है।

2. फासिद: वह 'अनियमित' विवाह जिसमें कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ हो।

3. मुताह: एक निश्चित समय अवधि के लिए किया गया 'अस्थायी विवाह'।

4. बातिल: वह विवाह जो बुनियादी सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण पूरी तरह अमान्य होता है।

प्रश्न-5. आधुनिक समय में विवाह की संस्था में आने वाले किन्हीं दो प्रमुख परिवर्तनों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- 1. जीवनसाथी के चयन में स्वतंत्रता: अब युवा अपने जीवनसाथी का चुनाव माता-पिता की पसंद के बजाय पारस्परिक आकर्षण और समान स्वभाव के आधार पर करने लगे हैं।

2. कानूनी बदलाव और स्थायित्व: 'हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955' ने विवाह विच्छेद (तलाक) की अनुमति दे दी है, जिससे विवाह का पारंपरिक 'अविभाज्य' स्वरूप बदल गया है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

2

परिवार

परिचय

विवाह समाज की वह आधारभूत संस्था है जो पुरुष और स्त्री के संबंधों को स्थायी रूप देकर परिवार का निर्माण करती है। यह न केवल हमारी जैविक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, बल्कि समाज के नियमों और सांस्कृतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने का मुख्य जरिया भी है।

परिवार का अर्थ एवं परिभाषा

1. परिवार समाज की बुनियादी इकाई है, जो विवाह, रक्त संबंध या दत्तकग्रहण द्वारा जुड़े सदस्यों का एक समूह है।

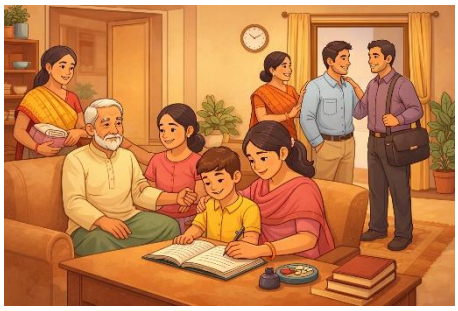

2. इसके सदस्य सामान्यतः एक ही छत के नीचे (सामान्य निवास) रहते हैं और एक-दूसरे की संवेगात्मक और आर्थिक सहायता करते हैं।

3. घर और परिवार में अंतर: घर केवल रहने का स्थान है (जहाँ गैर-सम्बन्धी भी हो सकते हैं), जबकि परिवार में रिश्तों का होना अनिवार्य है।

परिवार का समाजशास्त्रीय महत्व

1. परिवार 'मानव प्रकृति की नर्सरी' है, जहाँ व्यक्तित्व की नींव पड़ती है।

2. **अभिविन्यास का परिवार:** वह परिवार जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है और उसकी पहचान पुत्र/पुत्री के रूप में होती है।

3. **प्रजनन का परिवार:** वह परिवार जो व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं स्थापित करता है और बच्चों को जन्म देता है।

परिवार की विशेषताएं

- **सार्वभौमिकता:** परिवार हर समाज में पाया जाता है क्योंकि इसके बिना जैविक और सामाजिक कार्य संभव नहीं हैं।
- **संवेगात्मक आधार:** सदस्य प्रेम, परवाह और सुरक्षा की भावनाओं से जुड़े होते हैं।
- **सीमित आकार:** यह एक छोटा समूह है, जिसमें केवल रक्त या विवाह से जुड़े सदस्य होते हैं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

- **सामाजिक नियमन:** परिवार समाजीकरण के माध्यम से सदस्यों को सामाजिक रीति-रिवाजों का प्रशिक्षण देता है।
- **सामान्य लक्षण:** इनमें मैथुन संबंध (यौन संतुष्टि), सामान्य निवास, वंशक्रम और आर्थिक व्यवस्था शामिल हैं।

परिवार के प्रकार्य

- **जैविकीय प्रकार्य:** यौन संतुष्टि, बच्चों को जन्म देना और सदस्यों (नवजात से वृद्ध तक) को भौतिक सुरक्षा प्रदान करना।
- **आर्थिक प्रकार्य:** सदस्यों के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की व्यवस्था और उत्तराधिकार में संपत्ति का हस्तांतरण।
- **समाजीकरण:** बच्चे को समाज की भाषा, मूल्य, रीति-रिवाज और व्यवहार सिखाना (संस्कृति का हस्तांतरण)।
- **मनोवैज्ञानिक प्रकार्य:** कठिन परिस्थितियों में सदस्यों को संवेगात्मक सहायता, सुरक्षा और मानसिक संतोष देना।

परिवार के प्रकार

परिवारों का वर्गीकरण तीन मुख्य आधारों पर किया जाता है:

1. आवास के आधार पर:

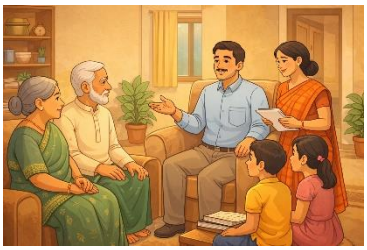

- **पितृ स्थानिक:** पत्नी पति के माता-पिता के घर रहती है (भारत में सामान्य)।
- **मातृ स्थानिक:** पति पत्नी की माता के घर रहता है (जैसे गारो और खासी जनजातियां)।
- **नव स्थानिक:** जोड़ा माता-पिता से अलग नया घर बसाता है।
- **मातुल स्थानीय:** जोड़ा मामा के परिवार में रहता है।

2. प्राधिकार के आधार पर:

- **पितृ सत्तात्मक:** पिता मुखिया होता है और सारी प्रशासनिक शक्ति उसी के पास होती है।
- **मातृ सत्तात्मक:** माँ परिवार की मुखिया होती है और उसका प्राधिकार सर्वोच्च होता है (जैसे नायर और खासी समाज)।

3. आकार के आधार पर:

- **एकाकी परिवार:** केवल पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे।
- **संयुक्त/विस्तृत परिवार:** तीन या अधिक पीढ़ियों के सदस्य, जो एक ही चूल्हे का खाना खाते हैं और संपत्ति साझा करते हैं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

भारत में संयुक्त परिवार

- यह एक **अधिकारवादी संरचना** है जहाँ मुखिया का निर्णय अंतिम होता है।
- इसमें वैयक्तिक इच्छाओं के बजाय **परिवार के हित** (परिवारवादी संगठन) को प्राथमिकता दी जाती है।
- प्रतिष्ठा उम्र और रिश्तों पर निर्भर करती है (बड़ों का अधिक आदर)।
- वैवाहिक संबंधों की तुलना में **रक्त संबंधों** (जैसे भाई-भाई) को अधिक वरीयता दी जाती है।

परिवार में परिवर्तन लाने के कारक

- औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चिमी संस्कृति और आधुनिक शिक्षा प्रमुख कारक हैं।
- **प्रभाव:** परिवार का आकार छोटा (एकाकी) हो गया है, सदस्यों के बीच बराबरी के संबंध आए हैं और वरण की स्वतंत्रता (जीवनसाथी स्वयं चुनना) बढ़ी है।
- अब परिवार उत्पादन की इकाई नहीं रहा, सदस्य धंधे के लिए बाहर जाते हैं।
- नई संस्थाओं (जैसे शिशुगृह, वृद्धाश्रम) ने परिवार के कुछ पारंपरिक कार्य अपने ऊपर ले लिए हैं।
- **नई अवधारणाएं: डिन्क (DINC)** - दोहरी आय वाले जोड़े जिनके बच्चे नहीं हैं; **किबूट्ज** - इज़राइल में बच्चों के पालन-पोषण की सामूहिक व्यवस्था।

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. परिवार को 'मानव प्रकृति की नर्सरी' क्यों कहा जाता है?

उत्तर- परिवार को मानव प्रकृति की नर्सरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं बच्चे के व्यक्तित्व की नींव पड़ती है। परिवार में बच्चा स्नेहपूर्ण वातावरण में सामाजिक मानदण्डों और व्यवहार के तरीकों को सीखता है, जो उसके वयस्क होने पर आचरण का आधार बनते हैं।

प्रश्न-2. एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- आकार: एकाकी परिवार छोटा होता है जिसमें केवल पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं , जबकि संयुक्त परिवार में तीन या अधिक पीढ़ियों के रिश्तेदार शामिल होते हैं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

व्यवस्था: संयुक्त परिवार में संपत्ति और भोजन (साझा चूल्हा) सामूहिक होता है , जबकि एकाकी परिवार में निर्णय अधिक बराबरी के आधार पर और वैयक्तिक होते हैं।

प्रश्न-3. पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक परिवार में क्या अंतर है?

उत्तर- पितृ सत्तात्मक: इसमें **पिता** औपचारिक मुखिया होता है और सारी निर्णय लेने की शक्ति पुरुषों के पास होती है (जैसे पारंपरिक भारतीय परिवार)।

मातृ सत्तात्मक: इसमें **माता** का स्थान केंद्रीय होता है और प्राधिकार माँ के पास होता है (जैसे असम की खासी और मेघालय की गारो जनजाति)।

प्रश्न-4. औद्योगीकरण और नगरीकरण ने परिवार की संरचना को कैसे प्रभावित किया है?

उत्तर-1. इन कारकों के कारण संयुक्त परिवार टूटकर **एकाकी परिवारों** में बदल गए हैं क्योंकि शहरों में जगह की कमी और बड़े परिवारों के खर्च की समस्या होती है।

2. सदस्यों को रोजगार के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, जिससे परिवार अब **उत्पादन की इकाई** नहीं रहा और नातेदारी के संबंध पहले जितने मजबूत नहीं रहे।

प्रश्न-5. 'डिन्क' (DINC) परिवार और 'किबूट्ज' (Kibbutz) व्यवस्था से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- डिन्क (Double Income No Child): ऐसे आधुनिक परिवार जिनमें पति-पत्नी दोनों कमाते हैं लेकिन वे बच्चों को भार मानकर उनका प्रजनन नहीं करते।

किबूट्ज: इज़राइल की एक विशेष व्यवस्था जहाँ बच्चों के पालन-पोषण का उत्तरदायित्व माता-पिता के बजाय पूरे **समुदाय** का होता है और बच्चे शिशु गृहों में सामूहिक रूप से रहते हैं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

3

रिश्तेदारी

परिचय

रिश्तेदारी केवल दो व्यक्तियों का व्यक्तिगत संबंध नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो परिवार की स्थापना और समाज की निरंतरता का आधार बनती है। यह स्त्री और पुरुष के संबंधों को सामाजिक मान्यता प्रदान करता है तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक समाज में विवाह के अपने नियम, प्रकार और उद्देश्य होते हैं, जो उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाते हैं।

नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा

- **नातेदारी** एक सामाजिक बंधन है जिसका मुख्य आधार रक्त संबंध, विवाह और दत्तकग्रहण है।
- यह व्यवस्था पारिवारिक संबंधों और विवाह से जुड़ी होती है जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है।
- रिश्तेदारी अभिविन्यास (जहां जन्म हुआ) और प्रजनन (विवाह के बाद बनाया गया) के परिवारों के परस्पर मिलन से बनती है।

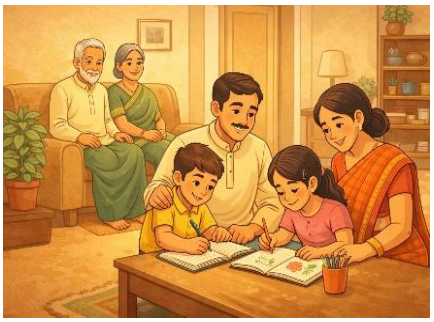

नातेदारी के प्रकार

मुख्य रूप से नातेदारी **दो प्रकार** की होती है:

1. **वैवाहिक नातेदार :** जो संबंध विवाह पर आधारित होते हैं, जैसे पति-पत्नी, सास-ससुर, दामाद, साला-साली आदि.
2. **समरक्त नातेदार :** जो संबंध वंशक्रम या रक्त पर आधारित होते हैं, जैसे माता-पिता और बच्चे, भाई-बहन, चाचा-भतीजा आदि।

- **काल्पनिक नातेदार:** वे संबंध जिन्हें जैविक आधार के बजाय सामाजिक मान्यता के कारण नातेदार माना जाता है, जैसे दत्तक पुत्र।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

निकटता पर आधारित श्रेणियाँ

निकटता के आधार पर नातेदारों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

- **प्राथमिक नातेदार:** जो बहुत नजदीक होते हैं (7 प्रकार), जैसे माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी और बच्चे।
- **द्वैतीयक नातेदार:** हमारे प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार (33 प्रकार), जैसे दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा, साला आदि।
- **तृतीयक नातेदार:** प्राथमिक नातेदारों के द्वैतीयक नातेदार (151 प्रकार), जैसे चचेरे भाई-बहन, साले की पत्नी आदि।

नातेदारी के प्रकार्य (महत्व)

- **पहचान और प्रतिष्ठा:** यह व्यक्ति को समाज में एक निश्चित दर्जा और पहचान प्रदान करती है।
- **सुरक्षा और सहायता:** संकट के समय नातेदार आर्थिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सहायता देते हैं।
- **संस्कारों का निर्वहन:** जन्म, विवाह और मृत्यु जैसे सामाजिक और धार्मिक संस्कारों में नातेदारों की भूमिका अनिवार्य होती है।
- **वंश की निरंतरता:** यह गोत्र, वंश और परिवार की परंपराओं को बनाए रखने में मदद करती है।

नातेदारी पदावली

नातेदारों को संबोधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द:

- **प्रारम्भिक पद:** छोटे शब्द जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे माता, पिता, भाई।
- **कृत्रिम पद:** जो उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर बनते हैं, जैसे दादा, परदादा, दत्तकपुत्र।
- **विवरणात्मक पद:** जो दो पदों के मेल से बनते हैं, जैसे साला (पत्नी का भाई), बहू (लड़के की पत्नी)।
- **वर्गात्मक पद:** जो एक ही शब्द कई रिश्तेदारों के लिए उपयोग हो, जैसे 'अंकल' (चाचा, मामा, मौसा)।

वंशक्रम के नियम और समूह

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

- **पितृ वंशक्रम:** जहां नाम और संपत्ति पिता के वंश से पुरुष वारिसों को मिलती है।
- **मातृ वंशक्रम:** जहां वंश स्त्री (माता) की ओर से चलता है।
- **वंश परंपरा :** उन समरक्त रिश्तेदारों का समूह जो एक वास्तविक सामान्य पूर्वज से अपना संबंध जोड़ते हैं।
- **गोत्र:** वह समूह जो अपना उद्गम किसी मिथकीय पूर्वज (ऋषि, पशु या पौधा) से मानता है. यह एक बहिर्विवाही समूह है।
- **अर्धांश:** जब पूरा समाज वंशक्रम के आधार पर दो बड़े हिस्सों में बंटा हो।

नातेदारी व्यवहार की रीतियाँ

नातेदारों के बीच परस्पर व्यवहार के निश्चित तरीके:

- **परिहार:** कुछ रिश्तेदारों के बीच सीधी बातचीत या भौतिक संपर्क वर्जित होता है, जैसे ससुर-बहू या जेठ-बहू।
- **परिहास:** हंसी-मजाक की छूट वाले संबंध, जैसे देवर-भाभी या जीजा-साली।
- **अनुसंतति संबोधन:** सीधा नाम न लेकर संतान के माध्यम से संबोधित करना (जैसे 'चिंटू के पापा')।
- **मातुल संबंध:** मातृवंशीय समाजों में मामा का भांजे-भांजी के जीवन में सर्वोच्च महत्व।
- **कुवेद:** पत्नी के प्रसव के समय पति द्वारा भी वैसी ही प्रसव पीड़ा का अनुभव करना और वैसा ही आहार-विहार करना।

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. नातेदारी की परिभाषा देते हुए इसके दो मुख्य प्रकारों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- परिभाषा: नातेदारी उन संबंधों की व्यवस्था है जो रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित होते हैं और जिन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है।

दो प्रकार:

1. समरक्त नातेदार: जो सामान्य रक्त या पूर्वज से जुड़े हों (जैसे भाई-बहन)।

2. वैवाहिक नातेदार: जो विवाह के माध्यम से रिश्तेदार बनते हैं (जैसे जीजा-साली)।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न-2. 'गोत्र' और 'वंश परंपरा' में क्या मुख्य अंतर है?

उत्तर-

1. वंश परंपरा: इसमें सदस्य अपने वास्तविक सामान्य पूर्वज को जानते हैं और उनकी पीढ़ियों का सटीक विवरण दे सकते हैं।

2. गोत्र: इसमें पूर्वज काल्पनिक या मिथकीय (जैसे कोई ऋषि या टोटम) होता है और पीढ़ियों का सटीक विवरण देना संभव नहीं होता।

प्रश्न-3. नातेदारी व्यवहार में 'परिहार' और 'परिहास' संबंधों के बीच अंतर बताइए।

उत्तर- परिहार: इसमें रिश्तेदारों के बीच दूरी और मर्यादा रखी जाती है तथा सीधी बातचीत या संपर्क वर्जित होता है (जैसे ससुर और बहू)।

परिहास: इसमें रिश्तेदारों को एक-दूसरे के साथ हंसी-मजाक करने की सामाजिक छूट होती है और इसे बुरा नहीं माना जाता (जैसे जीजा और साली)।

प्रश्न-4. 'वर्गात्मक' और 'विवरणात्मक' नातेदारी पदों को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर- वर्गात्मक पद: जब एक ही शब्द का उपयोग विभिन्न श्रेणियों के रिश्तेदारों के लिए किया जाता है, जैसे 'अंकल' शब्द चाचा, मामा और मौसा तीनों के लिए उपयोग होता है।

विवरणात्मक पद: जब किसी विशिष्ट रिश्तेदार के लिए एक ही विशिष्ट शब्द का प्रयोग हो, जैसे 'पिता' केवल अपने जनक के लिए और 'माता' केवल अपनी जननी के लिए प्रयोग होता है।

प्रश्न-5. नातेदारी व्यवस्था का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है?

उत्तर- नातेदारी व्यवस्था का व्यक्ति के लिए निम्नलिखित महत्व है:

1. यह व्यक्ति को समाज में पहचान और प्रतिष्ठा प्रदान करती है।

2. संकट के समय यह आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत है।

3. यह उत्तराधिकार, संपत्ति और विवाह के नियमों को नियंत्रित कर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

4

सामाजिक स्तरीकरण

परिचय

समाजशास्त्र के अध्ययन में **सामाजिक स्तरीकरण** वह प्रक्रिया है जिसमें समाज को शक्ति, धन और प्रतिष्ठा के आधार पर विभिन्न परतों या श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यह गैर-बराबरी का एक संस्थागत रूप है, जहाँ ऊपरी स्तर के लोगों के पास विशेषाधिकार होते हैं और निचले स्तर के लोगों के पास सीमित स्रोत।

अंतर और गैर बराबरी

अंतर: यह एक सार्वभौमिक लक्षण है जो व्यक्तियों में लिंग, उम्र या व्यवसाय के आधार पर होता है। यह अक्सर पूरक होता है (जैसे स्त्री-पुरुष या जुलाहा-खाती)।

गैर बराबरी: इसका संबंध विशेषाधिकारों और स्रोतों के असमान वितरण से है, जिससे समाज में श्रेणियों का निर्माण होता है।

भौतिक गैर बराबरी: यह प्राकृतिक कारकों जैसे उम्र, स्वास्थ्य और शारीरिक शक्ति पर आधारित होती है।

स्तरीकरण की अवधारणा

- यह शब्द भू-विज्ञान से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी की विभिन्न परतें। समाजशास्त्र में इसका अर्थ समाज का **स्तरों में विभाजन** है।
- **शक्ति:** दूसरों पर अपनी इच्छा लागू करने की क्षमता।
- **धन:** भौतिक संपत्तियाँ जैसे भूमि, भवन और पशुधन।
- **प्रतिष्ठा:** समाज में मिलने वाला सम्मान और आदर।
- **सार्वभौमिकता:** सामाजिक गैर-बराबरी हर समाज में है, लेकिन औपचारिक स्तरीकरण (जैसे वर्ग या जाति) शिकारी और खाद्य संग्राहक समाजों में नहीं पाया जाता था।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

स्तरीकरण के महत्वपूर्ण विचार और अवधारणाएं

1. **कार्ल मार्क्स:** इनके अनुसार समाज दो परस्पर विरोधी वर्गों - **शासक वर्ग** (मालिक) और **सेवा वर्ग** (मजदूर) - में बँटा है।
   - **वर्ग संघर्ष:** उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाला वर्ग दूसरे का शोषण करता है।
2. **मेक्स वेबर:** इन्होंने मार्क्स के वर्ग के विचार में 'प्रस्थिति' और 'शक्ति' को भी जोड़ा।
   - इनके अनुसार आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं हमेशा साथ नहीं चलतीं।

प्रस्थिति

1. यह व्यक्ति का वह **सामाजिक पद** है जिसे वह समाज में धारण करता है, और **भूमिका** वह व्यवहार है जो उस पद से अपेक्षित है।
2. **प्रदत्त प्रस्थिति:** जो जन्म से मिलती है (जैसे जाति, लिंग) और जिसे बदला नहीं जा सकता।
3. **अर्जित प्रस्थिति:** जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रतियोगिता से प्राप्त करता है (जैसे सिविल अधिकारी)।

जाति

- भारतीय समाज की मुख्य विशेषता जो **पवित्रता और अपवित्रता** के विचारों पर आधारित है।
- **वर्ण व्यवस्था:** समाज चार वर्गों - **ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र** - में विभाजित है।

- **लक्षण:** जाति अंतर्विवाही होती है (अपनी जाति में विवाह), इसका व्यवसाय निश्चित होता है और इसकी अपनी 'जाति पंचायत' होती है।
- **सांस्कृतीकरण:** वह प्रक्रिया जिसमें छोटी जातियाँ उच्च जातियों की जीवन पद्धति अपनाकर अपना स्तर सुधारने का प्रयास करती हैं।
- **जाति बनाम वर्ग:** जाति एक **'बंद व्यवस्था'** है (जन्म आधारित), जबकि वर्ग एक **'खुली व्यवस्था'** है (मेहनत से बदला जा सकता है)।

अर्वाचीन भारत में जाति का महत्व

अर्वाचीन भारत में वर्ग व्यवस्था महत्वपूर्ण है, लेकिन जाति आज भी पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं हुई है। इसके मुख्य कारण संक्षेप में इस प्रकार हैं:

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

1. विवाह के मामलों में जाति अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

2. धार्मिक कर्मकांड अक्सर जाति के आधार पर किए जाते हैं।

3. जाति के नाम पर समितियाँ और संगठन बनाए जाते हैं।

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. 'सामाजिक स्तरीकरण' से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- यह समाज का विभिन्न समूहों में किया गया वह श्रेणीबद्ध विभाजन है, जो धन, शक्ति और प्रतिष्ठा के असमान वितरण पर आधारित होता है। इसमें ऊपरी स्तर के लोगों को विशेष सुविधाएँ प्राप्त होती हैं और निचले स्तर के लोग उनके अधीन होते हैं।

प्रश्न-2. 'प्रदत्त' और 'अर्जित' प्रस्थिति में क्या मुख्य अंतर है?

उत्तर- 1. प्रदत्त प्रस्थिति: यह जन्म से मिलती है और इसे बदलना संभव नहीं है, जैसे जाति या लिंग।

2. अर्जित प्रस्थिति: इसे व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता से प्राप्त करता है, जैसे डॉक्टर या सरकारी अधिकारी बनना।

प्रश्न-3. कार्ल मार्क्स के स्तरीकरण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।

उत्तर- मार्क्स के अनुसार, स्तरीकरण का मुख्य आधार आर्थिक है।

समाज 'उत्पादन के साधनों' के स्वामित्व के आधार पर दो वर्गों में बँटा है: **पूँजीपति (शोषक) और श्रमिक (शोषित)।**

प्रश्न-4. जाति व्यवस्था की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर- 1. अंतर्विवाह: अपनी ही जाति के भीतर विवाह करने की अनिवार्यता।

2. सोपानिक क्रम: जातियों का ऊँच-नीच का क्रम जो धार्मिक शुद्धता के विचारों पर आधारित है।

प्रश्न-5. 'सांस्कृतीकरण' की अवधारणा क्या है?

उत्तर- यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निम्न जातियाँ उच्च जातियों की जीवन शैली, खान-पान और कर्मकांडों को अपनाती हैं ताकि वे समाज में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा सकें।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

5

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

परिचय

भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति समय के साथ निरंतर बदलती रही है। वैदिक काल की सम्मानजनक स्थिति से लेकर मध्यकाल की गिरावट और आधुनिक युग के सुधार आंदोलनों तक, यह अध्याय महिलाओं की सामाजिक यात्रा को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समझाता है। यह पाठ स्पष्ट करता है कि शिक्षा, कानून और सामाजिक चेतना ने महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया।

प्राचीन काल में महिलाओं की प्रस्थिति

प्राचीन भारत में स्त्रियों की जो प्रस्थिति थी, उसे हम विभिन्न कालों में विभाजित करके देख सकते हैं। यह विभाजन पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में किया गया है।

ये काल हैं –

1. **वैदिक काल**
2. **महाकाव्य काल**
3. **जैन धर्म और बौद्ध धर्म का काल**
4. **धर्मशास्त्रों का काल**

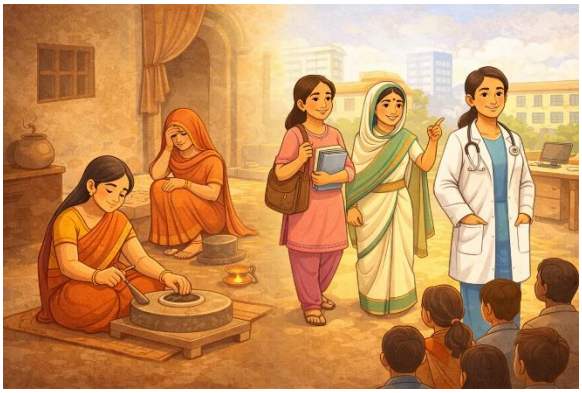

वैदिक काल

- समय – लगभग 1500–1000 ई.पू.
- इस काल में स्त्रियों की प्रस्थिति उच्च थी।
- स्त्रियाँ शिक्षित थीं और वेदों का अध्ययन करती थीं।
- सभा और समिति में भाग लेती थीं।
- धार्मिक अनुष्ठानों में पति के साथ सहभागिता करती थीं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

- विवाह की आयु अधिक थी।
- विधवा विवाह प्रचलित था।
- पुत्र और पुत्री में अधिक भेदभाव नहीं था।

इस काल को स्त्रियों की प्रस्थिति का श्रेष्ठ काल माना जाता है।

महाकाव्य काल

- इस काल में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया।
- उन्हें सम्मान तो प्राप्त था, पर स्वतंत्रता कम हुई।
- पारिवारिक जीवन में पुरुष प्रधानता बढ़ी।
- स्त्रियों के अधिकार सीमित होने लगे।
- सामाजिक नियंत्रण अधिक हुआ।

जैन धर्म और बौद्ध धर्म का काल

- स्त्रियों को धार्मिक जीवन अपनाने का अवसर मिला।
- जैन और बौद्ध धर्म ने आध्यात्मिक उन्नति का अधिकार दिया।
- भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई।
- फिर भी समाज में पूर्ण समानता नहीं थी।
- स्त्रियाँ अभी भी कई सामाजिक प्रतिबंधों के अधीन थीं।

धर्मशास्त्रों का काल

- इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई।
- धर्मशास्त्रों में स्त्रियों को पुरुषों के अधीन माना गया।
- बाल विवाह प्रचलित हुआ।
- विधवा विवाह का विरोध बढ़ा।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

- स्त्रियों की शिक्षा सीमित हुई।
- सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता कम हुई।

मध्य काल

- 11वीं शताब्दी से इस काल की शुरुआत मानी जाती है।
- इस युग में पहले से चली आ रही स्त्रियों की स्थिति में और गिरावट आई।
- विदेशी आक्रमणों का प्रभाव समाज पर पड़ा।
- स्त्रियों को घर तक सीमित किया जाने लगा।
- पर्दा प्रथा का विस्तार हुआ।
- बाल विवाह प्रचलित हुआ।
- सती प्रथा का प्रभाव बढ़ा।
- शिक्षा के अवसर बहुत कम हो गए।
- सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भागीदारी लगभग समाप्त हो गई।

इस काल में स्त्रियों की प्रस्थिति अत्यंत निम्न स्तर पर पहुँच गई।

आधुनिक काल

आधुनिक युग का प्रारंभ लगभग 19वीं शताब्दी से माना जाता है। इस काल में सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई और स्त्रियों की स्थिति सुधारने के प्रयास किए गए।

आधुनिक युग को दो भागों में बाँटा गया है –

1. **ब्रिटिश युग (1800–1947)**
2. **स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का युग (1947–अब तक)**

ब्रिटिश युग

- इस काल में सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

- समाज सुधारकों ने स्त्रियों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया।

प्रमुख सुधार

- **1829 –** सती प्रथा समाप्त की गई।
- **1856 –** विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित।
- **1929 –** बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू।
- **स्त्रियों की शिक्षा** पर बल दिया गया।
- स्त्रियों को सामाजिक सुधार आंदोलनों में भाग लेने का अवसर मिला।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का युग

स्वतंत्र भारत के संविधान ने स्त्रियों को समान अधिकार प्रदान किए।

संवैधानिक अधिकार

- समानता का अधिकार
- मताधिकार
- अवसरों की समानता

प्रमुख कानून

- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
- समान वेतन अधिनियम, 1976

सामाजिक परिवर्तन

- शिक्षा के अवसर बढ़े।
- स्त्रियों की साक्षरता दर में वृद्धि हुई।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

- रोजगार के अवसर बढ़े।
- पंचायतों में आरक्षण दिया गया।

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की प्रस्थिति का वर्णन कीजिए।

उत्तर- ऋग्वैदिक काल (प्रारंभिक वैदिक युग) में स्त्रियों की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी । उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त था और वे 'उपनयन' संस्कार करती थीं । धार्मिक कार्यों में उनकी भागीदारी पुरुषों के समान ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी ।

प्रश्न-2. पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं की स्थिति को कैसे प्रभावित करती है?

उत्तर- पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष को उच्च स्थान दिया जाता है और परिवार का मुखिया वृद्ध पुरुष होता है । इसमें वंश पिता के नाम से चलता है और संपत्ति पर भी पुरुषों का अधिकार होता है । कई विचारकों के अनुसार, यही व्यवस्था महिलाओं के दमन और उनकी निम्न सामाजिक स्थिति के लिए जिम्मेदार है ।

प्रश्न-3. बाल विवाह निषेध अधिनियम के विकास को समझाइए।

उत्तर- बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले 1929 में कानून बना, जिसमें उम्र 14 (लड़की) और 18 (लड़का) थी । बाद में 1955 (हिंदू विवाह अधिनियम) और फिर 1976 के संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष कर दिया गया ।

प्रश्न-4. मध्य काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट के क्या कारण थे?

उत्तर- मध्य काल (1100-1700 ई.) में बाहरी आक्रमणों के कारण समाज में असुरक्षा बढ़ गई थी । इसी असुरक्षा के कारण समाज में बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियाँ हावी हो गईं, जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता और शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित किया ।

प्रश्न-5. भारतीय संविधान महिलाओं की समानता के लिए क्या घोषणा करता है?

उत्तर- 1950 में लागू भारतीय संविधान यह घोषणा करता है कि पुरुष और स्त्री समान हैं । संविधान पुरुषों और स्त्रियों के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव को वर्जित करता है और दोनों को विकास के लिए शिक्षा और रोजगार के समान अवसर प्रदान करता है ।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

6

लैंगिक भेदभाव और लैंगिक समानता

परिचय

समाज में स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी व्यवहारिक जीवन में उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। यह अध्याय लैंगिक भेदभाव के कारणों, उसके प्रभावों तथा लैंगिक समानता स्थापित करने के उपायों को समझाता है।

लिंग शब्द का अर्थ

- लिंग से आशय स्त्री और पुरुष के जैविक भेद से है।
- यह जन्म के आधार पर निर्धारित होता है।
- जैविक विशेषताओं के कारण स्त्री और पुरुष में शारीरिक अंतर होता है।
- लिंग प्राकृतिक है।

लैंगिक भेदभाव का अर्थ

- जब स्त्री और पुरुष के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है तो उसे लैंगिक भेदभाव कहते हैं।
- यह सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित होता है।
- समाज में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग अपेक्षाएँ रखी जाती हैं।
- कार्य, अवसर, शिक्षा और अधिकारों में अंतर किया जाता है।

हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव किस तरह की अभिव्यक्ति करता है?

- लड़कियों की शिक्षा में बाधाएँ।
- कार्य के अवसरों में असमानता।
- संपत्ति के अधिकारों में भेद।
- घरेलू कार्यों का बोझ अधिकतर महिलाओं पर।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

- निर्णय लेने की शक्ति पुरुषों के पास।

विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में लैंगिक भेदभाव

समाज की प्रमुख संस्थाएँ लैंगिक भेदभाव को प्रभावित करती हैं।

परिवार

- लड़के और लड़कियों के पालन-पोषण में अंतर।
- भोजन, शिक्षा और स्वतंत्रता में भेदभाव।
- घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी लड़कियों पर।
- पुत्र को अधिक महत्व।

धर्म

- धार्मिक नियमों और परंपराओं में पुरुष प्रधानता।
- कुछ धार्मिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी सीमित।

शिक्षा

- लड़कियों की शिक्षा में बाधाएँ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने की अधिक दर।
- उच्च शिक्षा में कम प्रतिनिधित्व।

आर्थिक संस्थाएँ

- समान कार्य के लिए असमान वेतन।
- रोजगार के अवसर कम।
- असंगठित क्षेत्र में अधिक कार्य।

राजनीतिक संस्थाएँ

- निर्णय प्रक्रिया में कम भागीदारी।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

- प्रतिनिधित्व कम।

लैंगिक भेदभाव : एक महिलावादी विश्लेषण

- महिला दृष्टिकोण से भेदभाव समाज की संरचना में निहित है।
- पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं को अधीन बनाती है।
- समान अवसर और अधिकार आवश्यक हैं।

लैंगिक समानता किसे कहते हैं?

- स्त्री और पुरुष को समान अधिकार और अवसर देना।
- शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में समानता।
- सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन।

लैंगिक समानता की प्राप्ति कैसे हो सकती है?

- शिक्षा का प्रसार।
- जागरूकता अभियान।
- कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन।
- महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता।
- समान सामाजिक व्यवहार।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. लिंग और लैंगिक भेदभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- लिंग का संबंध स्त्री और पुरुष के जैविक अंतर से है, जो जन्म के साथ निर्धारित होता है। इसके विपरीत लैंगिक भेदभाव सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित असमान व्यवहार है, जिसमें स्त्री और पुरुष को अधिकारों, अवसरों और जिम्मेदारियों में अलग-अलग दर्जा दिया जाता है।

प्रश्न-2. समाज में लैंगिक भेदभाव के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था, परंपरागत मान्यताएँ, रूढ़िवादी सोच और शिक्षा की कमी लैंगिक भेदभाव के प्रमुख कारण हैं। लड़कों को परिवार का वारिस और कमाने वाला माना जाता है, जबकि लड़कियों को घरेलू कार्यों तक सीमित समझा जाता है। यही सोच असमानता को बढ़ाती है।

प्रश्न-3. परिवार में लैंगिक भेदभाव किस प्रकार प्रकट होता है?

उत्तर- परिवार में लड़कों और लड़कियों के पालन-पोषण, शिक्षा, भोजन और स्वतंत्रता में अंतर देखा जाता है। लड़कों को अधिक अवसर और महत्व दिया जाता है, जबकि लड़कियों पर घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी डाली जाती है। निर्णय लेने की शक्ति भी प्रायः पुरुषों के पास होती है।

प्रश्न-4. लैंगिक समानता का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- लैंगिक समानता का अर्थ है स्त्री और पुरुष को समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्रदान करना। शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और राजनीतिक भागीदारी में समान अवसर मिलना चाहिए। समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना दोनों को समान दर्जा देना ही लैंगिक समानता है।

प्रश्न-5. लैंगिक समानता स्थापित करने के उपायों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए शिक्षा का प्रसार, सामाजिक जागरूकता, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। परिवार और समाज में समान व्यवहार अपनाना तथा रूढ़िवादी सोच को बदलना भी समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/